**न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–93/2018**

# CIS NO. TS-458/2018

साहेब मियाँ एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिरेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **02.02.2023** | वादीगण की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी सं0–02 ता 08 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है।<br><br>**आदेश (Order)**<br><br>वादी सं0–02 ता 08 की ओर से दिनांक 23.09.2022 को एक आवेदन दाखिल किया गया। जिसमें वादी सं0–02 ता 08 का निवेदन है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में संशोधन करने के लिए एक संशोधन आवेदन दिनांक 24.02.2021 को दाखिल किया गया। उक्त आवेदन सभी वादीगण की तरफ से दाखिल किया गया तथा वादीगण में से वादी सं0–01 के द्वारा सत्यापित भी किया गया। संशोधन आवेदन सभी वादीगण के तरफ से दाखिल किया गया था लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा अपने प्रत्युत्तर में इस बात का प्रश्न खड़ा किया गया कि संशोधन आवेदन सभी वादीगण के द्वारा सत्यापित नही किया गया। अतः अन्य वादीगण के द्वारा इस आशय का यह आवेदन दिया जाता है कि संशोधन आवेदन दिनांक 24.02.2021 को वादी सं0–02 ता 08 के तरफ से दिया गया आवेदन माना जाये। इसके लिए वादी सं0–02 ता 08 श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगें।<br><br>प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से दिनांक 08.12.2022 को वादी सं0–02 ता 08 के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादी सं0–02 ता 08 के आवेदन को कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से खारिज करने योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 24.02.2021 वादपत्र में संशोधन हेतु दाखिल किया गया है जो अधिवक्ता के हस्ताक्ष के साथ वादी सं0–01 के हस्ताक्षर से सत्यापित किया गया है। संशोधन आवेदन सभी वादीगण द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जबकि दिनांक 24.02.2021 को जो संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है वह मात्र वादी सं0–01 के हस्ताक्षर से दाखिल किया गया है। | |

**न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज**
**स्वत्व वाद सं0–93/2018**
**CIS NO. TS-458/2018**

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 02.02.2023** | ताकि वाद की कार्यवाही इस आवेदन की सुनवाई तथा सुधार में चलती रहे तथा वाद का निस्तारण नही हो सके। अतः आवेदन खारिज किया जाय।<br>उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 24.02.2021 को वादीगण के द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन पर वादी सं0–01 साहेब मियाँ का हस्ताक्षर है। सत्यापन भी साहेब मियाँ के द्वारा किया गया है। जबकि सभी वादीगणों द्वारा आवेदन दिया गया है। प्रस्तुत आवेदन में वादी सं0–02 ता 08 के द्वारा उक्त संशोधन आवेदन को अपने ओर से दिया होना स्वीकार किया है तथा प्रस्तुत आवेदन पर सभी 07 वादीगण के हस्ताक्षर एवं निशान है तथा सत्यापन भी सभी के द्वारा किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि उभय पक्षों के द्वारा वाद से सम्बंधित सभी तथ्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे की वाद की बहुलता को रोका जा सके। अतः वादी सं0–02 ता 08 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 23.09.2022 को स्वीकार किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 24.02.2022 को वादीगण के द्वारा दिये गये संशोधन आवेदन को सभी वादीगणों की ओर से दिया गया आवेदन माना जाता है।<br>आगामी दिनांक 03.03.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश, प्रथम<br>नरकटियागंज | |